

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**

क्रमांक प.11(12)नविवि/अन्ता/2023

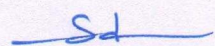
जयपुर, दिनांक: 07 AUG 2023

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को अन्ता, जिला-बारां के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्न राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में | राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.      | अन्ता                          | Anta                             |
| 2.      | बमोरी                          | Bamori                           |
| 3.      | नागदा                          | Nagda                            |
| 4.      | भोज्याखेडी                     | Bhojya khedi                     |
| 5.      | बिशनखेडी                       | Bishan kheri                     |
| 6.      | रातड़िया                       | Ratariya                         |
| 7.      | चक शाहाबाद                     | Chak Shahabad                    |
| 8.      | बालाखेड़ा                      | Bala Khera                       |
| 9.      | काचरी                          | Kachri                           |
| 10.     | तामखेड़ा                       | Tam Khera                        |
| 11.     | बमूलियाकलॉ                     | Bamuliya Kalan                   |
| 12.     | बरखेड़ा                        | Barkhera                         |
| 13.     | देल्याहेड़ी                    | Delyaheri                        |
| 14.     | मोलकी                          | Molki                            |
| 15.     | दुगारी                         | Dugari                           |
| 16.     | ठीकरिया                        | Thikariya                        |
| 17.     | पलायथा                         | Palayatha                        |

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(संचिता बिश्नोई)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय



**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बारां।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता, जिला-बारां।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय